विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाष:–7668147679, ई–मेल:–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–266 / 2026

परिवाद प्रस्तुतीकरण दिनांक–28.02.2026
अंतिम सुनवाई / बहस का दिनांक–28.04.2026
निर्णय की दिनांक–28.04.2026

श्री चिरंजी लाल
घसियामहोदव — वादी
श्रीनगर गढवाल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड — विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) — कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री चिरंजी लाल, घसियामहादेव, श्रीनगर गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 28.02.2026 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा दिनांक 27.10.2025 को स्मार्ट मीटर लगने के पश्चात् विद्युत बिल न आने के सम्बन्ध में शिकायत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 935, दिनांक 28.02.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

28/04/26

28/4/26 28/4

श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 959, दिनांक 24.03.2026 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–1275 / विविखश्री / दिनांक 20.04. 2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि उक्त शिकायतकर्ता के आवास पर दिनांक 25.10.2025 को स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया था, किन्तु शिकायतकर्ता की मीटर सीलिंग ऑनलाईन न चढने के कारण शिकायतकर्ता को बिल प्राप्त नहीं हो रहे थे। सहायक अभियन्ता, मापक द्वारा सीलिंग पोस्ट करने के पश्चात् दिनांक 08.04.2026 को शिकायतकर्ता को बिल निर्गत कर दिये गये हैं।

आज दिनांक 28.04.2026 को सुनवाई की गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि सहायक अभियन्ता, मापक द्वारा सीलिंग पोस्ट करने के पश्चात् दिनांक 08.04.2026 को वादी को बिल निर्गत कर दिये गये हैं।

आदेश

वादी की शिकायत का नियमानुसार निस्तारण कर दिया गया है।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.04.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)	रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	कीर्ति प्रसाद भट्ट सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाष:–7668147679, ई–मेल:–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–268/2026

परिवाद प्रस्तुतीकरण दिनांक–28.02.2026
अंतिम सुनवाई/बहस का दिनांक–28.04.2026
निर्णय की दिनांक–28.04.2026

श्री आशीष भारती
श्रीकोट गंगानाली। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री आशीष भारती, मढी चौरास, टिहरी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 28.02.2026 को इस कार्यालय से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि विगत 02 वर्षों से उनको अत्यधिक विद्युत बिल प्राप्त हो रहे हैं, वादी के परिसर पर 07 माह पूर्व स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया था, जिस पर भी अत्यधिक बिल प्राप्त हो रहे हैं, जिसके सम्बन्ध में वादी का कथन है कि उनके कमरे में एक टीवी, दो पंखे, और एक फ्रिज चलता है और अनुरोध किया गया है कि मेरे विद्युत बिल को ठीक करने की कृपा करें। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने के लिए शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

Kirti Prasad 28/04/26

28/4/26

28/4/26

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 937, दिनांक 28.02.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 961, दिनांक 24.03.2026 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0—1174 / विविखश्री / दिनांक 09.04.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि उक्त उपभोक्ता के संयोजन संख्या SN15207752815 पर दिनांक 26.08.2025 को स्मार्ट मीटर लगाया गया था तथा दिनांक 02.03.2026 तक उपभोक्ता की खपत 1206 KWH है। जिसमें औंसत खपत 201 KWH/Month पाई गई तथा उपभोक्ता को औंसतन रू0 1204.3 प्रतिमाह का बिल निर्गत किया गया है। उक्त प्रकरण में कोई डम्प यूनिट नहीं पाई गई है तथा स्मार्ट मीटर में दर्ज खपत के आधार पर बिल निर्गत किये जा रहे हैं।

आज दिनांक 28.04.2026 को सुनवाई की गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी का पुराना मापक दिनांक 26.08.2025 को स्मार्ट मीटर से बदला गया था। वादी को रीडिंग के अनुसार उचित बिल निर्गत किये जा रहे हैं।

आदेश

वादी को नियमानुसार रीडिंग के बिल निर्गत किये जा रहे हैं। यदि वादी को ऐंसा प्रतीत होता है कि उनका विद्युत मापक ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है तो वह विपक्षी के कार्यालय में उपस्थित होकर चैक मीटर हेतु आवेदन कर सकते हैं। वादी को

28/04/26

28/4/26

28/4/26

यह भी यह भी सूचित किया जाता है कि वह सोलर प्लाण्ट द्वारा उत्पादित की गई विद्युत की सोलर पैनल के ठेकेदार से जांच करायें।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस—1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/4/26
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

28/4/26
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

28/04/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.04.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

28/4/26
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

28/4/26
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

28/04/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाष:–7668147679, ई–मेल:– Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–273/2026

परिवाद प्रस्तुतीकरण दिनांक–09.03.2026
अंतिम सुनवाई/बहस का दिनांक–28.04.2026
निर्णय की दिनांक–28.04.2026

श्री कमलनयन जयदेव उनियाल
ग्राम–थापली, धारी ढुंढसिर — वादी
टिहरी गढवाल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड — विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) — कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री कमलनयन जयदेव उनियाल, ग्राम–थापली, धारी ढुंढसिर, टिहरी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 09.03.2026 को **CGRF PORTAL** से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि बिजली के तार खम्भे से टूट गये हैं जिस कारण वादी के परिसर पर विद्युत की सप्लाई पूर्ण रूप से रूक चुकी है एवं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने के लिए शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 951, दिनांक 10.03.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

28/4/26 — 28/4 — 28/04/26

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 965, दिनांक 27.03.2026 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0—1253 / विविखश्री / दिनांक 17.04.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि उक्त उपभोक्ता की विद्युत सप्लाई पूर्ण रूप से सूचारू कर दी गई है।

आज दिनांक 28.04.2026 को सुनवाई की गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी की विद्युत सप्लाई पूर्ण रूप से सुचारू कर दी गई है।

आदेश

वादी की शिकायत का नियमानुसार निस्तारण कर दिया गया है।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस—1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.04.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)

द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174

दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–275 / 2026

परिवाद प्रस्तुतीकरण दिनांक–18.03.2026
अंतिम सुनवाई / बहस का दिनांक–28.04.2026
निर्णय की दिनांक–28.04.2026

श्री राजेन्द्र लाल
ग्राम–रानीहाट, कीर्तिनगर — वादी
टिहरी गढवाल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड — विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) — कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री राजेन्द्र लाल, ग्राम–रानीहाट, कीर्तिनगर टिहरी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 18.03.2026 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि दिनांक 28 अगस्त 2025 को पी0एम0 सूर्यघर योजना के तहत सोलर प्लान्ट स्थापित होने के पश्चात् वादी को प्रथम बिल रू0 59265.00 का निर्गत हुआ, जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा उपखण्ड कार्यालय कीर्तिनगर को आपत्ति पत्र जारी किया गया तत्पश्चात् उपखण्ड कीर्तिनगर द्वारा अवगत कराया गया कि इस बिल को संशोधन के लिए भेजेगें परन्तु इसी दौरान विभाग द्वारा वादी का विद्युत संयोजन विच्छेदित कर दिया गया। वादी द्वारा पुनः उपखण्ड कार्यालय मे आपत्ति करने पर विद्युत संयोजन जोड दिया गया परन्तु दिनांक 06.03.2026 को उनके फोन नं0 पर रू0 26190.00 का बिल प्रेषित

Kirti Prasad

किया गया जिसमें यूनिट अथवा यूनिट दर का कहीं पर भी उल्लेख नही था। वादी द्वाा ऑनलाईन चैक किया गया तो वहां पर रू0 29253.00 का बिल दर्शाया गया है, जिसको लेकर वादी द्वारा उपखण्ड कार्यालय को बिल सही करने हेतु कहा गया परन्तु दिनांक 12.03.2026 को वादी की अनपस्थिति में संयोजन पुनः विच्छेदित कर दिया जाता है जिस कारण व उनके परिवारजन को अंधेरे में रहना पड रहा है एवं काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने के लिए शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 952, दिनांक 18.03.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0—1251 / विविखश्री / दिनांक 17.04.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि उक्त उपभोक्ता के मीटर मे डम्प रीडिंग के कारण मीटर बदलने के पश्चात् उपभोक्ता पर अधिक धनराशि का बिल प्राप्त हुआ जिस पर कार्यवाही करते हुये औंसत खपत के हिसाब से उचित स्लेब पर उपभोक्ता का बिल 21.02.2026 को रू0 59285 से रू0 26806 कर दिया गया था। जिसके बारे में उपभोक्ता को दूरभाष के माध्यम से अवगत करा दिया गया था। साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से उपभोक्ता को संशोधित बिल एवं लेजर की कॉपी भी भेज दी गई थी जिसमें बिल संशोधन होने के उपरान्त भी उपभोक्ता द्वारा बिल भुगतान नहीं किया गया जिसमे राजस्व वसूली के दौरान उपभोक्ता का संयोजन विच्छेदित करना पडां।

आज दिनांक 28.04.2026 को सुनवाई की गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी का मापक दिनांक 26.03.2015 को बदला गया था, इसके पश्चात् दिनांक 26.08.2025 को वादी का मापक सोलर प्लाण्ट लगने के कारण पुनः बदला गया। दिनांक 26.03.2015 से मीटर बदलने के पश्चात् वादी को अनियमित रीडिंग (कभी

कम कभी अधिक) के बिल प्राप्त हुये। विपक्षी द्वारा मात्र 11 / 2019 के पश्चात् के बिल संशोधित किये गये हैं, जो कि त्रुटिपूर्ण है।

आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वादी के समस्त बिल (माह 03 / 2015 से 08 / 2025 तक) दिनांक 26.03.2015 से 26.08.2025 तक के औंसत उपभोग के आधार पर संशोधित करें एवं अनुपालन आख्या 01 माह के भीतर मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस—1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल 28/4/26	कीर्ति प्रसाद भट्ट 28/04/26
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.04.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल 28/4/26	कीर्ति प्रसाद भट्ट 28/04/26
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाष:–7668147679, ई–मेल:–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–278 / 2026

परिवाद प्रस्तुतीकरण दिनांक–24.03.2026
अंतिम सुनवाई / बहस का दिनांक–28.04.2026
निर्णय की दिनांक–28.04.2026

श्री अनुज जोशी
नियर आंचल डेयरी — वादी
श्रीनगर गढवाल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड — विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्‌ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) — कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री अनुज जोशी, नियर आंचल डेयरी, पराग श्रीनगर गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 24.03.2026 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि आम तौर पर उनका विद्युत बिल 500 से 800 के मध्य ही रहता है, परन्तु अक्टूबर 2025 से वादी को अत्यधिक वृद्धि के बिल प्राप्त हो रहे हैं जो कि उनके लिए थोडा तनावपूर्ण है, एवं ऐंसें में वादी के खर्चों का प्रबंधन करना भी असामान्य हो गया है। इस हेतु अपने विद्युत बिल को ठीक करने के लिए वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

28/04/26

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 957, दिनांक 24.03.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–1243 / विविखश्री / दिनांक 17.04.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि उक्त उपभोक्ता के ऑनलाइन बिलों की जांच की गई। जांच में पाया गया कि शिकायतकर्ता को जो भी निर्गत किये गये हैं वह खपत के आधार पर ही निर्गत किये गये हैं, जो कि पूर्णतः सही है।

आज दिनांक 28.04.2026 को सुनवाई की गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी को उनके खपत के अनुसार ही बिल निर्गत किये जा रहे हैं।

आदेश

यदि वादी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होता है तो वह उपखण्ड कार्यालय श्रीनगर में उपस्थित होकर चैक मीटर के लिए आवेदन करें। इसके पश्चात् ही विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा सकती है।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/4/26
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

28/4/26
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

28/04/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.04.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

28/4/26
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

28/4/26
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

28/04/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः– **Cgrfsrinagar@gmail.com**

वाद संख्या–281 / 2026

परिवाद प्रस्तुतीकरण दिनांक–02.04.2026
अंतिम सुनवाई / बहस का दिनांक–28.04.2026
निर्णय की दिनांक–28.04.2026

सुश्री सुमन भट्ट
समीप गणेश बाजार
श्रीनगर गढवाल।
वादिनी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।
विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)
कोरम

वादिनी सुश्री सुमन भट्ट, समीप गणेश बाजार, श्रीनगर गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 02.04.2026 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि संयोजन– SN21112170337 उनके मकान मालिक श्री चन्द्र प्रकाश नैनवाल जी के नाम पर है। इस संयोजन पर विगत कई महीनों से उनको भारी–भरकम बिल प्राप्त हो रहे हैं, जिससे वादी काफी परेशान है, वादी द्वारा अप्रैल 2026 में रू0 9517.00 का बिल जमा कराया गया है जो कि बहुत अधिक है। वादी का कथन है कि उनके द्वारा बिल तो जमा करा दिया गया है परन्तु इस बिल को संशोधित कर अगले बिल में समायोजित किया जाये। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने के लिए शिकायती प्राथना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 970, दिनांक 02.04.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–1241 / विविखश्री / दिनांक 17.04.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि उक्त उपभोक्ता के ऑनलाईन बिलों की जांच की गई। जांच में पाया गया है कि उपभोक्ता को जो भी बिल निर्गत किये गये हैं वह रीडिंग के आधार पर ही निर्गत किये गये हैं। उपभोक्ता के विद्युत बिल का लोड वर्तमान में 02 कि0वा0 है। परन्तु उपभोक्ता का लोड दिसम्बर 2025 से वर्तमान तक 3 कि0वा0 से ऊपर आंका गया है। इस दशा में शिकायतकर्ता को अपने संयोजन का लोड बढाना उचित होगा। यदि इस स्थिति में भी शिकायतकर्ता पूर्णरूप से संतुष्ट नहीं होता है तो किसी भी कार्यदिवस को उपखण्ड कार्यालय मे उपस्थित होकर चैक मीटर हेतु आवेदन कर सकता हैं। चैक मीटर लगने के पश्चात् भी रिपोर्ट कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी उनके बाद विभागीय नियमानुसार उचित कार्यवाही कर दी जायेगी।

आज दिनांक 28.04.2026 को सुनवाई की गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादिनी को विद्युत बिल रीडिंग के आधार पर ही निर्गत किये जा रहे हैं। वादिनी का विद्युत लोड वर्तमान में 02 कि0वा0 है। परन्तु 12 / 2025 से वर्तमान तक वादिनी का लोड 03 कि0वा0 आंका गया है। इस स्थिति में उनको लोड बढना उचित होगा।

आदेश

यदि वादी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होता है तो वह उपखण्ड कार्यालय श्रीनगर में उपस्थित होकर चैक मीटर के लिए आवेदन करें। इसके पश्चात् ही विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा सकती है।

22/04/26

28/4/26

28/4

वाद सं0-281 / 2026
(उ0शि0नि0मं0-श्रीनगर)

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस-1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.04.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)